:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार न्योल RAS

प्रकरण संख्या 165/2018 वाद

दायर दिनांक : 01.11.2018

निर्णय दिनांक : 30.07.2024

अर्जन दत्तक पुत्र अमता डामोर निवासी नवागांव गोबर मृतक के कायम मुकाम

1/1 श्री सुनिल पिता अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/2 श्रीमती गंगा पत्नि अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/3 श्रीमति लीला पुत्री अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/4 श्रीमति रमीला पुत्री अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/5 सुश्री मंगु पुत्री अर्जन डामोर उम्र वयस्क निवासीयान नवागांव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

—— वादीगण

बनाम

1. श्री हाथी पिता बाजू जाति डामोर उम्र वयस्क
2. श्री भाथी पिता बाजू जाति डामोर उम्र वयस्क
3. श्रीमति बेनी पिता श्री बाजु जाति डामोर उम्र वयस्क
4. श्रीमति गंगा पत्नि कुशाल जाति डामोर उम्र वयस्क निवासीयान नवागांव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
5. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित –

वादी की ओर से – श्री दिनेशचन्द्र चौबीसा एडवोकेट।
प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 की ओर से – अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट।
प्रतिवादी नं. 5 तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से – पेरोकार सरकार।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी अर्जन डामोर द्वारा एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि वह अमता का दत्तक पुत्र होकर 15 वर्ष की आयु से ही जाति रस्म रिवाज के अनुसार गोदपुत्र रहा है। मौजा नयागांव गोबर तहसील सीमलवाडा में आराजी खसरा नम्बर 87, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 165, 166 प्रतिवादीगण के खाते दर्ज है। वह अपने खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण सं. 01 से 04 वादी को वादग्रस्त भूमि में काश्त करने फसल बोने, फसल काटने एवं इच्छानुसार उपभोग करने से नहीं रोके।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण उपस्थित आए एवं अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावे में दर्शाया कि हमता ला औलाद फोत हो जाने से विरासत के अनुसार प्रतिवादीगण के खाते में विवादित आराजीयात आई जिस पर प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। साथ ही जवाबदावे में अंकित किया कि उक्त विवादित आराजीयात पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के पिता के साथ विवाद पैदा करने से इन खसरा नम्बर पर रिसीवर नियुक्ति की कार्यवाही हुई जिसमे पार्टी नं. 1 के रूप में प्रतिवादीगण एवं उनके पिता आदि वो पार्टी नं. 2 के रूप में वादी वो उसके भाई पिता आदि थे जिसका प्रकरण संख्या 7/1990 दर्ज हुवा था। इस पत्रावली का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में होकर दिनांक 13/07/1993 को मोजा नवागांव गोबर के उपरोक्त खसरा नम्बर कुल रकबा 15.11) 4 बीघा एवं मोजा निठाउवा के आराजी नं. 421 रकबा 4.111) 4 बीघा का कब्जा मौके पर प्रतिवादीगण के पिता वाजु पिता सरदारा को रिसीवरी से पुनः सुपुर्द किया। इसी प्रकार वर्ष 1990 में वादी एवं उसके भाईयों द्वारा उपरोक्त आराजीयात के लिए विवाद पैदा किये जाने पर प्रतिवादीगण एवं उनके पिता की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 188, 88, 92(क) रा.टी.एक्ट के अन्तर्गत वादी एवं उनके भाईयों के विरूद्व पेश किया किया जो प्रकरण संख्या 141/1990 रेवेन्यु दर्ज होकर निर्णय दिनांक 23/11/1992 को किया जाकर वादी एवं उसके भाईयों आदि के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर द्वारा जारी किया गया। इस प्रकार समस्त विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण की विरासती होकर कब्जे काश्त में है। वादी की ओर से पूर्व में किसी प्रकार का उपरोक्त कार्यवाहीयों में किसी प्रकार का गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में फर्जी गोदनामा एक कागज पर बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जो कि फर्जी है।

वादी के वाद एवं प्रतिवादीगण के जवाबदावा के अनुसार न्यायालय द्वारा तनकीयात कुल 9 कायम की, जिसमें तनकी नं. 1 से 5 वादी को एवं तनकी नं. 6 से 8 प्रतिवादीगण को साबित करवानी थी एवं तनकी नं. 9 दादरसी की कायम की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई।

वादी को प्रकरण वर्ष 2016 का होकर वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर कई बार दिये जाने के उपरांत भी वादी की ओर से साक्षियों के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन वर्ष 2020 से आज दिन तक कई अवसर दिये जाने के उपरांत भी वादीगण की ओर से वादी ने 3 वर्ष से कई बार अवसर दिये गये साक्ष्य करने में असमर्थ रहे होने से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 08/09/2022को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से भी लम्बे समय से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 18/06/2024 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। पत्रावली में वादी की ओर से किसी प्रकार का रजिस्टर्ड दस्तावेज गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया मात्र एक कागज पर लिखा हुवा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

गोदनाम प्रस्तुत किया जाने से इस प्रकार का दस्तावेज के आधार पर किसी को गोदपुत्र नहीं माना जा सकता।

तनकी नं. 1 से 5 को सिद्ध करवाने का भार वादीगण पर है, किन्तु वादीगण की ओर से न तो पत्रावली पर साक्ष्य प्रस्तुत की गई और न ही किसी प्रकार का दस्तावेज प्रदर्शित करवाया गया है, जिससे वादीगण अपना वाद सिद्ध करवाने में असफल रहे हैं। इस लिए वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने से वाद वादी खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

:: कियात्मक आदेश ::

वाद वादीगण साक्ष्य प्रस्तुत कर तनकी नं. 1 से 5 को सिद्ध नहीं करवाए जाने से एवं किसी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं कर प्रदर्शित नहीं करवाए जाने से साक्ष्य एवं सबूत के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 30/07/2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

पर

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 2 रूल 6 – 7 जा. दी.)

(सिविल प्रोसिजर कोड एपिन्डिक्स ऐ)

अज अदालत – उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 165/2018 रेवेन्यु दायर दिनांक 01.11.2018

निर्णय दिनांक 30.07.2024

अर्जन दत्तक पुत्र अमता डामोर निवासी नवागांव गोबर मृतक के कायम मुकाम

1/1 श्री सुनिल पति अर्जन डामोर उम्र वयरक

1/2 श्रीमती गंगा पत्नि अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/3 श्रीमति लीला पुत्री अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/4 श्रीमति रमीला पुत्री अर्जन डामोर उम्र वयस्क

1/5 सुश्री मंगु पुत्री अर्जन डामोर उम्र वयस्क निवासीयान नवागांव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

–– वादीगण

बनाम

1. श्री हाथी पिता बाजू जाति डामोर उम्र वयस्क
2. श्री भाथी पिता बाजू जाति डामोर उम्र वयस्क
3. श्रीमति बेनी पिता श्री बाजु जाति डामोर उम्र वयस्क
4. श्रीमति गंगा पत्नि कुशाल जाति डामोर उम्र वयस्क निवासीयान नवागांव गोबर तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)
5. श्री लेण्ड होल्डर तहसीलदार सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर

–– प्रतिवादीगण

दावा बाबत जारी किये जाने घोषणा एवं स्थाई एवं आदेशात्मक निषेधाज्ञा

उपस्थित – वादी की ओर से – श्री दिनेशचन्द्र जी चोबीसा एडवोकेट

प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 की ओर से –अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट

प्रतिवादी नं. 5 की ओर से – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राकेश कुमार न्योल आरएएस ब हाजरी श्री दिनेशचन्द्र चोबीसा मिन जानिब मुद्दई व प्रतिवादी नं. 1 से 4 की ओर से अल्लाहनूर मन्सूरी एडवोकेट एवं प्रतिवादी नं. 5 की ओर से पेरोकार सरकार पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि :–

वाद वादीगण साक्ष्य प्रस्तुत कर तनकी नं. 1 से 5 को सिद्व नहीं करवाए जाने से एवं किसी दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं कर प्रदर्शित नहीं करवाए जाने से साक्ष्य एवं सबूत के अभाव में वाद वादी खारिज किया जाता है। निर्णयानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिकी पर्चा जारी किया जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगें। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होवे।

आज दिनांक 30/07/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

मुद्दई	रूपया/पैसा	मुद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प वकालनामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		महनताना वकील	
फीस कमीश्नर		फीस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
बाबत इजराय		मुतफरीक	
मुतफरीक			
मिजान			

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner